

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3568
उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षकों के पद

†3568. श्री राजीव राय:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 1 अप्रैल 2014 को उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक, मिडिल और उच्च विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या कितनी है;
- (ख) 2014 के बाद से सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों की वर्षवार और श्रेणीवार संख्या कितनी है;
- (ग) उक्त अवधि के दौरान भर्ती किए गए शिक्षकों की वर्षवार और श्रेणीवार संख्या कितनी है;
- (घ) अभी तक स्वीकृत किए गए, भरे गए और रिक्त शैक्षिक पदों की संख्या कितनी है; और
- (ङ.) क्या सरकार नियत छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए रिक्त पदों की वर्तमान संख्या को सही मानती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय होने के कारण, देश के अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। तदनुसार, शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और शिक्षकों की तैनाती संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आती है। सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, नए पदों के सृजन, शिक्षक तैनाती को युक्तिसंगत बनाने और नामांकन में परिवर्तन जैसे कारकों के कारण समय-समय पर शिक्षकों के पदों की रिक्तियां होती हैं। स्वीकृत पदों की संख्या, कार्यरत शिक्षकों, रिक्त शिक्षण पदों और शिक्षकों के भर्ती/सेवानिवृत्ति के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और स्तर-वार ब्यौरे से संबंधित आंकड़े, संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा रखे जाते हैं।

यूडाइज़+ के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक	कुल
2014-15	383269	145754	3288	10102	542413
2025-26	340103	259477	7025	20519	627124

केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वायत्त शिक्षक भर्ती बोर्डों अथवा इसी प्रकार के तंत्रों सहित पारदर्शी और योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से रिक्त पदों को भरने की सलाह देती है। प्रतिस्पर्धात्मक चयन, निरंतरता और प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षक आवश्यकता योजना और पूर्वानुमान पर बल देने के साथ बैठकों और सलाहों के माध्यम से भर्ती की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

यूडाइज़+ 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर पीटीआर प्राथमिक स्तर पर 19, उच्च प्राथमिक स्तर पर 17, माध्यमिक स्तर पर 15 और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 23 है, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य के लिए राज्य स्तर पर पीटीआर प्राथमिक स्तर पर 19, उच्च प्राथमिक स्तर पर 21, माध्यमिक स्तर पर 23 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 33 है, जो एनईपी 2020 के तहत परिकल्पित मानदंडों के अंतर्गत है।
